

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
State Election Commission, Bihar

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 04.05.2026

पंचायत आम निर्वाचन 2026 हेतु "प्रपत्र-1" के प्रारूप प्रकाशन एवं दावा-आपत्ति संबंधी सूचना।


राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत आम निर्वाचन 2026 के सफल संचालन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वैधानिक प्रक्रियाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है। इस संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं निम्नवत हैं:

- पंचायत आम निर्वाचन 2026: जनसंख्या आंकड़ों का प्रकाशन एवं आपत्ति आमंत्रण हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज दिनांक 04.05.2026 को प्रपत्र-1 (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार जनसंख्या के आंकड़े) का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है।
- प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 14 (चौदह) दिनों के भीतर दिनांक 04.05.2026 से 18.05.2026 तक आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। उक्त समयावधि के पश्चात प्राप्त किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा।
- प्रक्रिया: आपत्तिकर्ता को दावा/आपत्ति प्राप्त किये जाने हेतु प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा पावती रसीद अनिवार्य रूप से प्रदान की जाएगी। प्राप्त आपत्तियों की जांच एवं समीक्षा के उपरांत अभिलेख में कारण अंकित करते हुए आदेश पारित किया जायेगा।
- प्राधिकृत एवं अपीलीय प्राधिकार का विवरण
दावा/आपत्ति के निष्पादन हेतु पदों के अनुसार निम्नलिखित पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे:-
 - ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु संबंधित 'प्रखंड विकास पदाधिकारी' जांच पदाधिकारी होंगे तथा अपीलीय प्राधिकार संबंधित 'अनुमंडल पदाधिकारी' होंगे।
 - जिला परिषद सदस्य पद हेतु संबंधित 'अनुमंडल पदाधिकारी' जांच पदाधिकारी होंगे तथा अपीलीय प्राधिकार संबंधित 'जिला पदाधिकारी' होंगे।
 - अंतिम निर्णय: दावा/आपत्ति के मामलों में अपीलीय प्राधिकार का निर्णय अंतिम होगा जिसके पश्चात प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
- प्रकाशन स्थल
प्रारूप प्रपत्र-1 निम्नलिखित स्थानों पर प्रकाशित किया जाएगा:-
 - ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति सदस्य पद हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय एवं प्रखंड कार्यालय
 - जिला परिषद सदस्य पद हेतु प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला पदाधिकारी कार्यालय
 - उपरोक्त के अलावा आयोग के वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर भी देखा जा सकता है।



➤ मतदाता/नागरिक हेतु सुविधा

- मतदाता के लिए ऑनलाईन सुविधा :- कोई भी मतदाता/ नागरिक राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के वेबसाईट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर निर्वाचन/मतदाता सूची/मतदान केन्द्र/ 'प्रपत्र-1' से संबन्धित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं एवं ऑनलाईन दावा/आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं।
- इसके अलावा कोई भी व्यक्ति/मतदाता/अभ्यर्थी आयोग में संचालित कॉल सेंटर कोषांग के टोल फ्री नं. 1800-3457-243 पर कॉल करके निर्वाचन संबंधी सूचना, सुझाव या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।


4/5/26
उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार